Gov. 7 What is the difference between governance and management ?

प्रश्न ७. ''व्यवस्थापन'' और ''प्रशासन'' में क्या फर्क है ?

- अच्छे बोर्ड को संस्था के कार्य में रुची होती है।
- संस्था के हेतू के बारे में वो वचनबद्ध होते है।
- उनके पास होशियारी और क्षमता होती है।
- समाज और अन्य हितसंबंधी उनका आदर करते है।
- बोर्ड में 'विकास करने की' क्षमता होनी चाहिये।
- बदलते हुए समाज में बदलती हुई और नयी समस्याओं के बारे में संवेदनशील होना।
- बाकी लोगों के साथ मिलजूलकर कार्य करने की क्षमता।
- खुदपर विश्वास होना और कार्यकर्ताओं के साथ समानता का व्यवहार।
- मतभिन्नता होने के कार्यकताओं के और अन्य सदस्यों के अधिकार का स्वीकार करना।
- अगर बहुमत आप के विरूद्ध है तो सही तरीके से पद छोडना।
- साधन इकट्ठा करना और उसका सही उपयोग करना।
- बोर्ड की भूमिका प्रशासन की होनी चाहिये। व्यवस्थापन की नहीं।

प्रशासन संस्था के कार्य को विस्तृत स्वरूप से जुडा होता है और व्यवस्थापन दैनंदिन कार्य में सुविधा लाने का काम करता है। नियम बनाना, निधी जमा करना, नेतृत्व करना, अंतिम हेतू सुनिश्चित करना और इस दिशा में कार्य करने को बढावा देना यह बोर्ड का काम है। लेकिन नियमों को अमल में लाना बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है। कार्यपद्धती निश्चित करना बोर्ड की जिम्मेदारी है और उसे अमल में लाना व्यवस्थापन की जिम्मेदारी है।

बोर्ड का काम प्रशासन में जुडा है लेकिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकर्ता व्यवस्थापन के हिस्से है। प्रशासन उत्तरदायित्व और पारदर्शकता से जुडा है। स्वनियंत्रण और संस्था चलाना प्रशासन के हिस्से है। अपने दाता, लाभार्थी, कार्यकर्ता, सरकार और अन्य हितसंबंधीओं की तरफ उत्तरदायित्व ये प्रशासन का हिस्सा है। पारदर्शकता मतलब स्पष्टता है। स्वनियंत्रण याने खुद पर नियंत्रण रखना है। संस्था चलाना इसका मतलब है संस्था चलती रहे इसलिये निधी इकट्ठा करना। आरटीआय - राइट टू इन्फर्मेशन ॲक्ट सरकारी संस्थाओं को लागू होता है। अगर आपकी संस्था सरकारी अनुदान लेती है तो आप आरटीआय की कक्षा में आते है।
किसी भी संस्था जिसे एक करोड़ से ज्यादा चंदा मिलता है वो सरकारी अनुदान प्राप्त संस्था मानी जाती है।

आप की संस्था का व्यवहार कितनी सीमा तक पारदर्शी होगा इसका निर्णय आपको ही लेना है। आप वेबसाइट माध्यम से कौनसी जानकारी देना चाहते है ये तय करना होगा। कानूनी तौर पर जो जानकारी देने की जरूरत नहीं है ऐसी जानकारी आप देना चाहोगे या नहीं ? कानुनन आपको ऑडीटेए अकाउंटस्, इनकम और एक्सपेंडीचर स्टेटमेंट, बॅलन्स शीट देना जरूरी है। आप मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कितनी तनख्वाह देते हो ये वेबसाइट पे बताना जरूरी नहीं है। ट्रॅव्हल्स पे कितना खर्च होता है, डोनेशन कहा से मिलता है यह भी बताना जरूरी नहीं है। ये सब पारदर्शकता से जुड़े हुए मुद्दे है। कानुनन जिम्मेदारी से ज्यादा जिम्मेदार होना ये प्रशासन है और जरूरत से ज्यादा जानकारी देना ये पारदर्शकता है।